ISSN 23485639

शोध-समालोचन

SHODH-SAMALOCHAN

(A Bilingual Research Journal of Humanities & Social Sciences)
(मानवीकी एवं समाज विज्ञान की द्विभाषिक शोध-पत्रिका)
(मार्च, जून, सितम्बर व दिसम्बर में प्रकाश्य)

वर्ष : 1 मार्च, 2014 अंक : 1

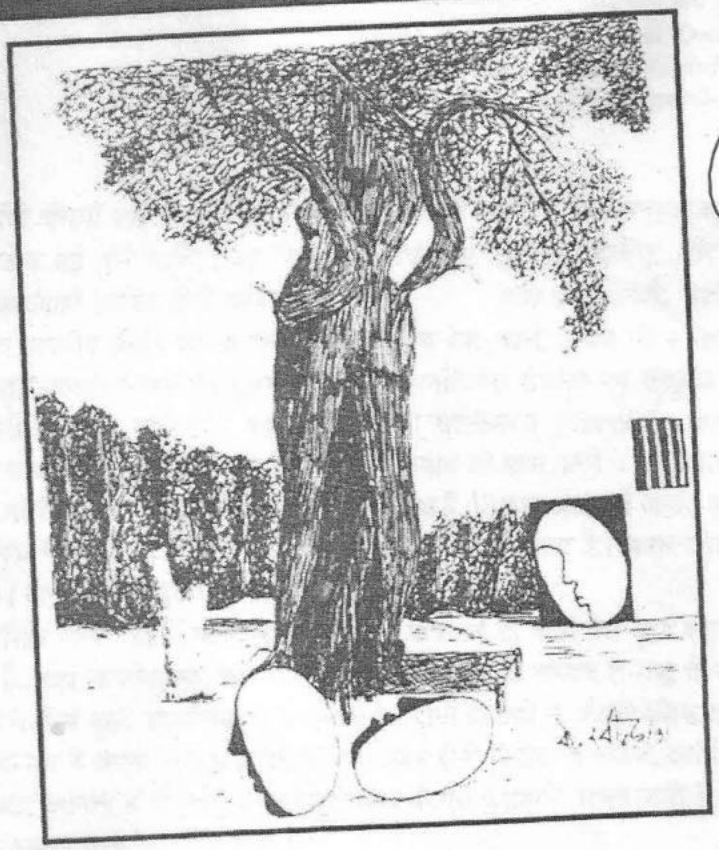

संपादक : डॉ. भारतेन्दु मिश्र/डॉ. बलराम अग्रवाल

अमेरिकन सकारात्मक विभेद एवं आरक्षण व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. किशोर कुमार
Associate Professor, Dept. of History
Km. Mayawati Govt. Girls P.G. College,
Badalpur, Gautam Buddha Nagar-203207 (U.P.)

"विभेद की निर्दयी बीमारी कोई वर्ग या देश की सीमाओं को नहीं जानती है। इस समस्या का उपचार करने के लिए प्रयत्न भी अवश्य बड़े होने चाहिए। यह निजी और सार्वजनिक दोनों होने चाहिए...और इनमें विधायी और कार्यकारी दोनों कार्यवाही शामिल होनी चाहिए।" ***जॉन एफ. कैनेडी, फरवरी 28, 1963***

वैसे तो समस्याएं मानवीय जीवन का सामान्य अंग हैं। प्रत्येक देश, काल, समाज की समस्याएं चुनौती के रूप में मानव को सतत प्रयत्नशील रहने एवं तुलनात्मक रूप से प्रगतिशील सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण के लिए प्रेरित करती रहती हैं। परंतु कभी-कभी हम समस्याओं का सरलीकरण (Simplification) कर उसके नकारात्मक प्रभाव को समझने में इतना विलंब कर देते हैं कि इस प्रभाव को खत्म करने में वर्ष, दशक नहीं, अपितु शताब्दी लग जाती है। नस्लीय, जातिगत, भेदभाव एक ऐसी ही समस्या है, जिसका अतीत में अर्थात् पूर्व मध्यकालीन विश्व से लेकर आधुनिक विश्व तक अनेक देशों में वीभत्स रूप देखने को मिलता है। भारत और अमेरिका भी इसके अपवाद नहीं है। दोनों देशों में इसके भिन्न रूप मौजूद रहे हैं।

भारत और अमेरिका दोनों देशों में यदि हम समानता की बात करें तो दोनों देश वृहद लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का उदाहरण है। यहां नागरिक स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकारों के माध्यम से राष्ट्र के संप्रभुता जनता में निहित है। दोनों ही देशों में वृहद बहुसांस्कृतिक जनसंख्या है। दोनों ही देशों ने औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर आर्थिक शक्ति के युग में अपनी पहचान कायम की है। लेकिन दोनों ही देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश के अतीत में और वर्तमान में भी नस्लीय-जातीय भेदभाव के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण आधुनिक राज्य की संकल्पना कमजोर प्रतीत होती है।

थॉमस ई. विस्कॉफ के अनुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत कई अर्थों में बहुत भिन्न है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य से दोनों राष्ट्र समान हैं। दोनों देशों में कार्यकारी लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली है और दोनों सतत नागरिक स्वतंत्रता और वैयक्तिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों के पास बड़ी बहुसांस्कृतिक जनसंख्या है, जिससे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समूह हैं, जिसका वंचित रहने का और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने का लंबा इतिहास रहा है, जिसके सदस्यों का समाज के ऊपरी सामाजिक-आर्थिक तबके में प्रतिनिधित्व समानुपाती नहीं रहे